


ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1 147.1	कार्यकारी समिति की 146वीं बैठक दिनांक 18.12.2009 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से 146वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि किये जाने का निर्णय लिया गया।		
2 147.2	जविप्रा क्षेत्र में स्थित गुलाब बाडी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गुरु जम्बेश्वर नगर ए के भूखण्ड संख्या 35 पुराना 32-ए क्षेत्रफल 566.62 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (श्री अभिषेक विश्‍नोई)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण का परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
3 147.3	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 26, 36, 36/897, 37 किता 4 रकबा 4.04 हैक्ट. भूमि का भू-उपयोग उपांतरण आवासीय से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (प्रिया रिसर्च इन्टिग्रेटिव फोर डवलपमेन्ट इन एजुकेशन)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 26, 36, 36/897, 37 किता 4 रकबा 4.04 हैक्ट. में से 440 के.वी. एच.टी.लाइन से प्रभावित 5042.26 वर्गमीटर तथा 220 के.वी. एच.टी.लाइन से प्रभावित 8739.34 वर्गमीटर भूमि को नो कन्स्ट्रक्शन जोन के रूप में रखते हुये सम्पूर्ण 4.04 हैक्ट. भूमि का भू-उपयोग उपांतरण आवासीय से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपांतरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
4 147.4	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना राठौड नगर के पुर्नगठित भूखण्ड सं. 14 व 15 क्षेत्रफल 785.72 वर्गगज का भू-उपयोग उपांतरण वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) से केवल व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (श्री प्रदीप पांडया, संजय माण्डया व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण का परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
5 147.5	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम कानोता तहसील बस्सी के खसरा नं. 998/702 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त 15516.5 वर्गमीटर में से 2996.5 वर्गमीटर जविप्रा की भूमि मानकर कम करने के पश्चात् मौके शेष रही भूमि में से सडक सीमा में निहित होने वाली 1552.05 वर्गमीटर जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने पश्चात् 10967.5 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (श्री गोपाल लाल पुत्र श्री कान्हाराम)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम कानोता तहसील बस्सी के खसरा नं. 998/702 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त 15516.5 वर्गमीटर में से 2996.5 वर्गमीटर जविप्रा की भूमि मानकर कम करने के पश्चात् मौके शेष रही भूमि में से सडक सीमा में निहित होने वाली 1552.05 वर्गमीटर जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने पश्चात् शेष 10967.5 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपांतरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
6 147.6	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम पीथावास तहसील जयपुर के खसरा नं. 2, 4 व 7/4 किता 3 रकबा 46530.58 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण आवासीय से रिसोर्ट (पर्यटन ईकाई) किये जाने के संबंध में। (श्री परसराम मोरदिया)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम पीथावास तहसील जयपुर के खसरा नं. 2, 4 व 7/4 किता 3 रकबा 46530.58 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण आवासीय से रिसोर्ट (पर्यटन ईकाई) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपांतरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
7 147.7	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम बिलोची तहसील आमेर के खसरा नम्बर 1142, 1143, 1144, 1145, 1145/1868, 1148, 1149, 1153, 1153/1706, 1154, 1154/1707 किता 11 रकबा 5.23 हैक्ट. अर्थात् 52268 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (मै. ओसियन सेवन बिल्डटेक प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम बिलोची तहसील आमेर के खसरा नम्बर 1142, 1143, 1144, 1145, 1145/1868, 1148, 1149, 1153, 1153/1706, 1154, 1154/1707 किता 11 रकबा 5.23 हैक्ट. अर्थात् 52268 वर्गमीटर भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 14532 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात् शेष 37736 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपांतरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
8 147.8	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम हरध्यानपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर के ख.नं. 49 व 159/49 किता 2 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त 16435.50 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (श्रीमती कैलाश भार्गव)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम हरध्यानपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर के ख.नं. 49 व 159/49 किता 2 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त 16435.50 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपांतरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपांतरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
9 147.9	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम कूकस तहसील आमेर के खसरा नम्बर 928/2278, 935, 937, 937/2279, 937/2281, 938, 938/2282, 939, 939/2276, 939/2277, 939/2277/2290, 939/2277/2291, 939/2283 किता 13 रकबा 3.11 हैक्टयर अर्थात् 31100 वर्गमीटर भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त 30780 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण इकोलोजिकल से वाणिज्यिक (केवल होटल प्रयोजनार्थ अन्य उपयोग हेतु नहीं) किये जाने हेतु कार्यकारी समिति के 146वीं मितिग के निर्णय/कार्यवाही विवरण में 928/2278 के स्थान पर 938/2278 रकबा 0.22 हैक्ट. सही दर्ज कराने के संबंध में। (गोवर्धन धाम एस्टेट प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम कूकस तहसील आमेर के खसरा नम्बर 928/2278, 935, 937, 937/2279, 937/2281, 938, 938/2282, 939, 939/2276, 939/2277, 939/2277/2290, 939/2277/2291, 939/2283 किता 13 रकबा 3.11 हैक्टयर अर्थात् 31100 वर्गमीटर भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त 30780 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपांतरण इकोलोजिकल से वाणिज्यिक (केवल होटल प्रयोजनार्थ अन्य उपयोग हेतु नहीं) किये जाने हेतु कार्यकारी समिति के 146वीं मितिग के निर्णय/कार्यवाही विवरण में 928/2278 के स्थान पर 938/2278 रकबा 0.22 हैक्ट. सही दर्ज कराने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपांतरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13	
10 147.10	गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एल-24 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड संख्या एल-24, गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना का नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-8	
11 147.11	अधिशायी अभियन्ता के 5 पदों को अधीक्षण अभियन्ता के पदों में कमोन्नत करने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुसार अधिशायी अभियन्ता के 5 पदों को अधीक्षण अभियन्ता के पदों में कमोन्नत करने एवं प्रकरण राज्य सरकार को रेप्सर एक्ट में स्वीकृति हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	

*[Handwritten signature]*


-251-

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTRY AGENDA)				
12	147.12	भूखण्ड सं. ए-226, सालिगरामपुरा आवासीय योजना के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड सं. ए-226, सालिगरामपुरा आवासीय योजना के नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-14
13	147.13	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम ग्राम चौमू तहसील चौमू के खसरा नं. 2534/1 क्षेत्रफल 1187.75 वर्गमीटर भूमि में से सड़क सीमा से प्रभावित 92 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात शेष 1095.75 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु कार्यकारी समिति के 146वीं मितिग के निर्णय/कार्यवाही विवरण में ग्रामीण से संस्थानिक के स्थान पर आवासीय से संस्थानिक भू-उपयोग उपान्तरण सही दर्ज कराने के संबंध में। (शिवाजी ग्रामीण विकास शिक्षा संस्थान)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम ग्राम चौमू तहसील चौमू के खसरा नं. 2534/1 क्षेत्रफल 1187.75 वर्गमीटर भूमि में से सड़क सीमा से प्रभावित 92 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात शेष 1095.75 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु कार्यकारी समिति के 146वीं मितिग के निर्णय/कार्यवाही विवरण में ग्रामीण से संस्थानिक के स्थान पर आवासीय से संस्थानिक भू-उपयोग उपान्तरण सही दर्ज कराने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)
14	147.14	जविप्रा द्वारा बहरोड रिग रोड परियोजना की डी.पी.आर. तैयार करने के संबंध में नगर विकास न्यास, भिवाडी अलवर से अनुबंध करते हुये शर्त निर्धारित कर मैसर्स याशि कन्सलटिंग सर्विसेज को सब कन्सलटेंट नियुक्त करने हेतु अनुमोदन।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार मैसर्स याशि कन्सलटिंग सर्विसेज को सब कन्सलटेंट नियुक्त करने तथा प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष, नगर विकास न्यास भिवाडी एवं (कलक्टर) अलवर को डी.पी.आर के लिये कुल परियोजना लागत की स्वीकृत 1 प्रतिशत राशि को बढ़ाने हेतु आग्रह करने का निर्णय लिया गया।	अधीक्षण अभियन्ता (द्वितीय)
15	147.15	हाज्यावाला आवासीय योजना की आरक्षित दर के संबंध में।	हाज्यावाला आवासीय योजना की आरक्षित दर 9000/- रुपये प्रति वर्गमीटर नियत की गई थी, किन्तु उक्त रिजर्व प्राईज राज्य सरकार एवं जयपुर नगर निगम का हिस्सा शामिल होने के कारण अधिक प्रतीत हो रही थी, जिसके कारण योजना की सफलता पर संशय होने की आशंका है। अतः विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से आरक्षित दर 9000/- रुपये प्रतिवर्गमीटर के स्थान पर आरक्षित दर 6200/- रुपये प्रतिवर्गमीटर तय किये जाने का एवं साथ ही जविप्रा द्वारा अपनी आय में से राज्य सरकार एवं जयपुर नगर निगम का हिस्सा राशि का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-8

  
 सदस्य सचिव  
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 147वीं बैठक दिनांक 19.01.10 को दोपहर 12:00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री सुधांशु पंत, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1	श्री सुधांशु पंत	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्रीमती गायत्री ए राठौड़	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3	श्री एस.ए. फारूकी	शासन उप सचिव	राजस्थान सरकार, जयपुर।	सदस्य के प्रतिनिधि
4	श्री भारकर शर्मा	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री एस.के. पंचोली	निदेशक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री एच.एस. संचेती	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्री एल.के. विजयवर्गीय	E.E. & TA	जेवीवीएनएल	सदस्य के प्रतिनिधि
8	श्री डी.पी. बसंल	E.E. & TA	पी.एच.ई.डी.	सदस्य के प्रतिनिधि
9	श्री उदय सिंह	E.E. & TA	पीडब्ल्यूडी	सदस्य के प्रतिनिधि
10	श्री एम.एम. जोशी	E.D. (T)	आर.एस.आर.टी.सी.	सदस्य के प्रतिनिधि
11	श्री डी.एल. भाकर	C.E. JMC	जे.एम.सी.	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
12	श्रीमती सुचि शर्मा	अति. आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13	श्री शफी मोहम्मद कुरैशी	अति. आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्री जाकिर हुसैन	अति. निदेशक (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्री हर्देश शर्मा	उपायुक्त जोन-8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री बी.एल. गोयल	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री पी.सी. शर्मा	उपायुक्त जोन-13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्री संजय जैन	उपायुक्त जोन-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री पी.अरविन्द	एसटीपी (मास्टर प्लान)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	श्री पातीराम चौधरी	जेनल अभियन्ता-प्रथम	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21	श्री आर.जी. जैन	सर्किल इंजिनियरिंग	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

  
 सचिव,  
 जविप्रा, जयपुर

कमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2010/डा- 3.80  
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	प्रमुख शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलेक्टर	जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी/प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम/प्रशासन/एल.पी.सी/भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम)/अति.निदे. (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	उपायुक्त (समन्वय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।

सचिव  
जविप्रा, जयपुर